



उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

CIN : U32201UP1999SGC

संख्या-2494-औ०सं०/2019-11(4)/एफ/86 (वाल्सूम-1।)

दिनांक 19 जुलाई, 2019

विषय:- चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित समय-सीमा को विशेष परिस्थितियों में शिथिलता प्रदान करने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के आदेश सं०-2405-औ०सं०/2014-11(4)एफ/86 (वाल्सूम-1।) दिनांक 30.07.2014 द्वारा डिस्चार्ज होने की तिथि के 06 माह के अन्दर एवं आदेश संख्या-2759-औ०सं०/2014 दिनांक 14.08.2014 द्वारा लम्बी अवधि तक वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार पर औषधियों पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के बीजक 06 माह के अन्दर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना प्राविधानित है।

उपर्युक्त के सम्बन्ध में निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 16.07.2019 को परिचालन के माध्यम से पारित निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने की निर्धारित 06 माह की समय-सीमा को विशेष परिस्थितियों में शिथिलता प्रदान करने की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

1. चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु दावा प्रस्तुत करने की समय-सीमा कार्यालय ज्ञाप संख्या-2405 दिनांक 30.07.2014 में दी गई व्यवस्थानुसार 06 माह के अन्दर बीजक प्रस्तुत किए जाने एवं कार्यालय ज्ञाप सं०-2759-औ०सं०/2014 दिनांक 14.08.2014 में वाह्य रोगी के रूप में करायी गई लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के बीजक चिकित्सक द्वारा लिखे गये प्रिस्क्रिप्शन के दिनांक से अधिकतम 06 माह के अन्दर सम्बन्धित कार्यालय/इकाई में प्रस्तुत किये जाने की अनिवार्यता तथा कार्यालय ज्ञाप सं०-3330-औ०सं०/18-11(28)ए०एस०/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08.08.2018 के बिन्दु 09 एवं 10 पर दी गई व्यवस्था को विशेष परिस्थितियों में अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त कर 01 वर्ष तक शिथिलता प्रदान कर स्वीकृत किया जायेगा।
2. 01 वर्ष से अधिक विलम्ब से प्रस्तुत चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को विशेष परिस्थितियों में गुणावगुण के आधार पर शिथिलता प्रदान किए जाने हेतु उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के निदेशक मण्डल एवं डिस्काम से सम्बन्धित प्रकरणों में डिस्काम के निदेशक मण्डल के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जायेंगे।

**निदेशक मण्डल की आज्ञा से
निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)**

संख्या-2494-औ०सं०-2019- तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लि०, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (कार्मिक प्रबन्ध)/(आपरेशन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर जल विद्युत निगम लि०, 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान/अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जाँच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

G:\General Letter And Notesheet\GERNAL LETTER.Doc

क्रमशः 2/-

10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
14. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
16. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
18. कट फाइल।

Not Matted
(नवनीत माथुर) 19.7.19
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी
[Signature]